मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 1, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री -

(1) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 2002-2003; तथा

(2) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (क) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-तेरह-5514-21, दिनांक 27 फरवरी, 2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हिम्मत कोठारी, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, राज्य शासन द्वारा वेट टैक्स में बढ़ोत्तरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राजनारायण सिंह, नित्य निरंजन खम्परिया, पी.सी. शर्मा, सदस्य, इंदिरा सागर बांध परियोजना के प्रभावित गांवों का सर्वे न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सुधाकर बापट, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, बीना क्षेत्र में पानी रोको अभियान में व्यापक गड़बड़ी होने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रणवीर सिंह, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के करेरा नगर पंचायत में पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, राजगढ़ की गोघटपुर शाखा द्वारा आवास ऋण दिये जाने वाले अनुदान में अनियमितता होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले में रेत उत्खनन के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, पन्चूलाल प्रजापति, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में मध्याह्न भोजन में घटिया खाद्य सामग्री का वितरण होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री बाबूलाल गौर, रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बसौली में अनुसूचित जाति के बालक की बलि देने का प्रयास होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल के कुछ क्षेत्रों में पेयजल में पारे की अधिकता से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी एवं दतिया जिले के ग्रामों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, भोपाल शहर में मादक द्रव्यों का अवैध कारोबार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, बालाघाट जिले में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक सामग्री लूट लिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले की दोआब नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा थाना के कैदी की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री गोरेलाल, सदस्य, पन्ना जिले के सपतईया ग्राम में अवैध रूप से चूना पत्थर का उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.